न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख आदेश जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

GAMS-2024/719

20-03-2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। वकुलाय उभयपक्ष की प्रकरण में बहस सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करते हुए वादपत्र में अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय उभयपक्ष के निवेदन पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वकुलाय उभयपक्ष तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु सहमत हैं। अतः वाद वादीगण न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:40:07 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. कालू पुत्र गोरू जाति माली निवासी ढाणी जोडली वाली तन डेहरा जोहडी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. अंकित पुत्र सुरेश वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 194 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री रोशन लाल अग्रवाल एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री पवन कुमार, श्री राधेश्याम शर्मा, श्री गिरधारी लाल बागड़ी, श्री जगदीश चौधरी एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादी मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज......................मुबलिग..बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 03 सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

मुहर

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

दस्तखत............
ओहदा..............

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:40:07 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।